UPBN120002032015

Presented on : 09-03-2015
Registered on : 09-03-2015
Decided on : 16-04-2026
Duration : 11 years, 1 months, 7 days

IN THE COURT OF
Civil Judge Jr. Div. Bisauli, Budaun
AT BISAULI,Budaun
(Presided Over by SUSHRI SHAIFALI CHANDRAVANSHI)

Warrant case/324/2015

सरकार बनाम 1–प्रिंस कुमार पुत्र भगवानदास,
2–शशिकांत पुत्र भूरेलाल,
3–मुन्नालाल पुत्र दाताराम
4–डोरीलाल पुत्र दाताराम
निवासीगण ग्राम किसौरा इबादुल्लानगर,
थाना इस्लामनगर, जनपद बदायूँ।
.....अभियुक्तगणगण

मु०अ०सं०–288/2014
धारा–323, 324, 325, 504 भा०दं०सं०,
थाना–इस्लामनगर, जिला बदायूँ।

निर्णय

1– आपराधिक वाद अभियुक्तगण **प्रिंस कुमार, शशिकांत, मुन्नालाल व डोरीलाल** के विरूद्ध मु०अप०सं० 288/2014, आपराधिक वाद संख्या–324/2015, अंतर्गत धारा 323, 324, 325, 504 भा०दं०सं०, थाना इस्लामनगर, जनपद बदायूँ में दाखिल आरोप पत्र के आधार पर संस्थित किया गया। अभियुक्तगण का विचारण आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के पश्चात किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानानुसार दिनांक 9.9.12 को समय करीब 7.00 बजे सुबह खाना नम्बर 2 के मुल्जिमानों से वादी मुकदमा का जमीन का मुकदमा चल रहा था तथा वादी मुकदमा मुकदमा जीत गया। वादी मुकदमा ने कहा कि अब वादी मुकदमा जीत गया है, उसकी जमीन छोडो । इसी बात को लेकर मां बहिन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। वादी मुकदमा के मना करने पर वादी मुकदमा को लाठी डंण्डो से मारपीट करने लगे। शोर पर खाना नं० 3 मौके पर आ गये तथा बचाया।

3– वादी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त प्रिंस कुमार, शशिकांत, मुन्नालाल व डोरीलाल के विरूद्ध 323, 324, 325, 504 भा०दं०सं० के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। मेडिकल प्रपत्रों के आधार पर व घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा

नजरी तैयार किया गया तथा साक्षीगण के कथन धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किये गये। विवेचक के द्वारा मामले में विवेचना की गयी तथा बाद विवेचना धारा– 323, 324, 325, 504 भा०दं०सं० के तहत आरोप पत्र अभियुक्तगण प्रिंस कुमार, शशिकांत, मुन्नालाल व डोरीलाल के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

4– आरोप पत्र प्रसंज्ञान लिया गया एवं अभियुक्तगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी जमानत करायी गयी। अभियुक्तगण को धारा 207 दं०प्र०सं० के तहत अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 25.11.2021 को धारा– 323, 324, 325, 504 भा०दं०सं० के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की यांचना की।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य–

A–प्रथम सूचना रिपोर्ट

B–तहरीर

C–नक्शा नजरी

D–नकल जी0 डी0

E –आरोप पत्र

F– चिकित्सीय प्रपत्र

6– अभियोजन की **ओर** से निम्न मौखिक साक्षीगण को प्रस्तुत किया गया हैः–

क्र0 सं0	**साक्षीगण**	**प्रपत्र**	**साबित किया गया है**
1.	साक्षी पी०डब्लू० 01 रमेशचंद्र	लिखित तहरीर	
2.	साक्षी पी०डब्लू० 02 श्याम सिंह		

7– अभियोजन की ओर से साक्ष्य में मात्र 02 साक्षी पी०डब्लू० 01 रमेशचंद्र व पी० डब्लू०–2 श्याम सिंह का बयान न्यायालय के समक्ष अंकित कराया गया। उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन के औपचारिक प्रपत्रों की औपचारिकता धारा–294 दं०प्र०सं० के तहत स्वीकार किया गया है। तत्पश्चात अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

8– अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी पी०डब्लू०–1 रमेशचंद्र के बयान को अंकित कराया गया। जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 9.9.12 को सुबह 7 बजे मुल्जिमान प्रिंस कुमार, शशीकांत, डोरीलाल व मुन्नालाल ने रामकीर्ति के साथ किसी धारदार हथियार या लाठी डंडे से कोई मारपीट नहीं की थी न ही गाली गलौज की थी। मुझे जानकारी नहीं

है कि मेरा नाम गवाही में कैसे लिख गया। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। **इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।**

9– अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में उक्त साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि साक्षी को उसका 161 सीआरपीसी का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा की मैंने दरोगा जी को बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया में इसका कारण नहीं बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान से मिल गया हूं। इसलिए न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूं।

10– अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी पी०डब्लू०–2 श्याम सिंह के बयान को अंकित कराया गया। जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 9.9.12 को सुबह 7–7–1/2 बजे की करीब मेरे सामने रामकीर्ति के साथ प्रिंस कुमार, शशीकांत, डोरीलाल व मुन्नालाल ने किसी धारदार हथियार या लाठी डंडे से कोई मारपीट नहीं की थी न ही गाली गलौज की थी न ही मैने बाद ऐसी किसी घटना के बारे में सुना है। मुझे जानकारी नहीं है कि मेरा नाम गवाही में कैसे लिख गया। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। **इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।**

11– अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में उक्त साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि साक्षी को उसका 161 सीआरपीसी का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा की मैंने दरोगा जी को बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया में इसका कारण नहीं बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान से मिल गया हूं। इसलिए न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूं।

12– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत घटना दिनांक 9.9.12 की है। जिसमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 9.03.2015 को संज्ञान लिया गया। दौरान वाद विचारण वादी मुकदमा की मृत्यु हो चुकी है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप दिनांक 25.11.2021 को विरचित किया गया। अभियोजन के अन्य साक्षीगण को परीक्षित कराए जाने हेतु अनेकानेक अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद भी उक्त साक्षीगण के अलावा अभियोजन पक्ष अन्य किसी साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा, जिस कारण दिनांक 10.11.2025 को अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया।

13– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

निष्कर्ष

14– प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–323, 324, 325, 504 भा०दं०सं० संदेह से परे प्रमाणित करना है।

अभियोजन कथानक अनुसार अभियुक्तगण प्रिंस कुमार, शशिकांत, मुन्नालाल व डोरीलाल द्वारा दिनांक 09.09.2012 समय 7.15 बजे शाम वहद ग्राम किसौरा इबादुल्लानगर अंतर्गत क्षेत्र थाना इस्लामनगर, जिला बदायूँ में वादी मुकदमा को गंदी गंदी गालियां देते हुए उसे लाठी डंडो व धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति व उपहति कारित की गयी।

15– धारा–323 भा०दं०सं० यह प्रावधानित करती है किः–

"जो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाता है, उसे एक वर्ष तक की कैद या एक हजार रुपये तक जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।"

एवं

धारा–324 भा०दं०सं० यह प्रावधानित करती है किः–

"खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के लिए 3 साल तक की कैद, जुर्माने या दोनों की सज़ा से दंडित किया जाएगा। "

एवं

धारा–325 भा०दं०सं० यह प्रावधानित करती है किः–

"जानबूझकर गंभीर चोट पहुँचाने के लिए 7 साल तक की जेल और/या जुर्माने की सज़ा कासे दंडित किया जाएगा। "

16– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 रमेशचंद्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा विपरीत यह कथन किया है कि दिनांक 9.9.12 को सुबह 7 बजे मुल्जिमान प्रिंस कुमार, शशीकांत, डोरीलाल व मुन्नालाल ने रामकीर्ति के साथ किसी धारदार हथियार या लाठी डंडे से कोई मारपीट नहीं की थी न ही गाली गलौज की थी। मुझे जानकारी नहीं है कि मेरा नाम गवाही में कैसे लिख गया। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन की जिरह में भी इस साक्षी ने घटना से पूर्णतया इंकार किया है।

17– इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षी पी० डब्लू०–2 श्याम सिंह,ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा विपरीत यह कथन किया है कि दिनांक 9.9.12 को सुबह 7–7–1/2 बजे की करीब मेरे सामने रामकीर्ति के साथ प्रिंस कुमार, शशीकांत, डोरीलाल व मुन्नालाल ने किसी धारदार हथियार या लाठी डंडे से कोई मारपीट नहीं की थी न ही गाली गलौज की थी न ही मैने बाद ऐसी किसी घटना के बारे में सुना है। मुझे जानकारी नहीं है कि मेरा नाम गवाही में कैसे लिख गया। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन की जिरह में भी इस साक्षी ने घटना से पूर्णतया इंकार किया है तथा समझौता होने की बात स्वीकार की है।

18– उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत में अभियुक्तगण प्रिंस कुमार, शशिकांत, मुन्नालाल व डोरीलाल के विरुद्ध लगाए गये आरोप अन्तर्गत धारा– 323, 324, 325 भा०दं०सं० युक्ति– युक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण प्रिंस कुमार, शशिकांत, मुन्नालाल व डोरीलाल आरोप अन्तर्गत धारा– 323, 324, 325 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

19– धारा–504 भा०दं०सं० यह प्रावधानित करती है किः–

(1)– भारतीय दंड संहिता की धारा 504 लोक शांति भग करने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान– जो कोई भी किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करे इरादतन या यह जानते हुए कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को लोकशांति भंग करने, या अन्य अपराध का कारण हो सकती है को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।

20– प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्लू० 01 रमेशचंद्र व पी० डब्लू०–2 श्याम सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण के द्वारा वास्तव में बोले गए अपेक्षित शब्दो के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है एवं अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौच की घटना किए जाने से इंकार किया गया है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **Jodh Singh And Ors. vs State Of Uttar Pradesh And Anr. (1991 CriLJ 3226)** यह विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि In a complaint Under section 504 the complainant must mention the actual words which were used by the accused while insulting him/her otherwise the court will not have enough material before it to come to a conclusion whether the words used by the accused amounted to intentional insult Further more the complainant must give out in the complaint that the accused intended or knew that insulting words used

by him were likely to provoke the complainant in either to break the peace or to commit some other offence.

21– उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत में अभियुक्तगण प्रिंस कुमार, शशिकांत, मुन्नालाल व डोरीलाल के विरुद्ध लगाए गये आरोप अन्तर्गत धारा– 504 भा०दं०सं० युक्ति– युक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण प्रिंस कुमार, शशिकांत, मुन्नालाल व डोरीलाल आरोप अन्तर्गत धारा– 504 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

22– इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु अन्य किसी तथ्य के साक्षी, स्वतंत्र साक्षी एवं औपचारिक साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही एफ०आई०आर०, जी०डी०, आरोप पत्र, मेडिकल प्रपत्र एवं घटनास्थल इत्यादि को साबित किया गया है। यहां यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त को मात्र अभियोजन के औपचारिक प्रपत्रों स्वीकारता के आधार पर दोषसिद्ध साबित नहीं किया जा सकता है।

23– इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों के अंतर्गत न्यायालय के अभिमत में अभियुक्तगण प्रिंस कुमार, शशिकांत, मुन्नालाल व डोरीलाल के विरुद्ध लगाए गये आरोप अन्तर्गत धारा– 323, 324, 325, 504 भा०दं०सं० युक्ति– युक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण प्रिंस कुमार, शशिकांत, मुन्नालाल व डोरीलाल को आरोप अन्तर्गत धारा– 323, 324, 325, 504 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

24– अभियुक्तगण **प्रिंस कुमार, शशिकांत, मुन्नालाल व डोरीलाल** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 323, 324, 325, 504 भा०दं०सं० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनके बंधपत्र तथा प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभू को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 ए(1) दं०प्र०सं० का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है। उक्त बंधपत्र व प्रतिभूगण आगामी छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक– 16.04.2026

(शैफाली चन्द्रवंशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसौली,
बदायूँ।
J.O. Code–UP4649

25– आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक– 16.04.2026

(शैफाली चन्द्रवंशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसौली,
बदायूँ।
J.O. Code–UP4649

Digitally signed by Shaifali Chandravanshi
Date: 2026.04.16 17:28:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court